सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा. सं.: **NCST/SER-2357/MP/752/2025-RO-BH/RU-I**

दिनांक: 22.07.2026

महाप्रबंधक,
मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक,
204, सी-21, बिज़नस पार्क,
रिंग रोड, रेडिसन चौराहा,
इंदौर-462010, मध्य प्रदेश
ई-मेल: ho.indore@mpgb-rrb.com

विषय: आवेदक के विभाग द्वारा अनुचित तरीके से आवेदक के विरूद्ध झूठी शिकायत किए जाने के संबंध में- श्री नमो नारायण, म.प्र. ग्रामीण बैंक, शाखा-भितरवार, जिला-ग्वालियर(म.प्र.) से प्राप्त दिनांक 28.05.2025 का अभ्यावेदन।

महोदय/महोदया,

कृपया उपरोक्त विषय पर **दिनांक 17.06.2026 को** आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में आहूत सिटिंग का सन्दर्भ ग्रहण करें। उक्त सिटिंग का कार्यवृत इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्न: यथोपरि.

भवदीय

पूर्णेन्दु कान्त

(पूर्णेन्दु कान्त/Purnendu Kant)
निदेशक/Director

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

श्री नमो नारायण,
मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक,
शाखा-भितरवार,
जिला-ग्वालियर, मध्य प्रदेश

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

पत्रावली संख्या - NCST/SER-2357/MP/752/2025-RO-BH/RU-I

मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक द्वारा अनुसूचित जनजाति कर्मचारी के विरुद्ध कथित भेदभावपूर्ण एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही के संबंध में श्री नमो नारायण, कार्यालय सहायक, म.प्र. ग्रामीण बैंक, शाखा-भितरवार, जिला-ग्वालियर (म.प्र.) के अभ्यावेदन पर दिनांक 17.06.2026 को आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न सिटिंग/सुनवाई का कार्यवृत्त।

सिटिंग/सुनवाई की दिनांक : 17.06.2026

सिटिंग/सुनवाई में उपस्थित प्रतिभागी : अनुलग्नक-I के अनुसार।

श्री नमो नारायण, कार्यालय सहायक, म.प्र. ग्रामीण बैंक, शाखा-भितरवार, जिला-ग्वालियर (म.प्र.) का अभ्यावेदन आयोग को प्राप्त हुआ, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंधित होने के कारण उन्हें बैंक के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा समय-समय पर प्रताड़ित किया गया। अभ्यावेदक के अनुसार क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत मुख्य प्रबंधक अधिकारी श्री सुमित तिवारी द्वारा उन पर अनैतिक कार्य करने हेतु दबाव डाला जाता था। उनके द्वारा उक्त कार्य करने से इंकार किए जाने पर बैंक प्रतिनिधि (बी.सी.) श्री रूद्रप्रताप सिंह को उकसाकर दिनांक 02.12.2022 को उनके विरुद्ध झूठी शिकायत कराई गई तथा उसके आधार पर विभागीय जांच प्रारंभ की गई। जांच उपरांत दिनांक 03.12.2022 को उन्हें निलंबित कर दिया गया।

अभ्यावेदक द्वारा यह भी आरोप लगाया गया कि निलंबन आदेश के विरुद्ध उनके द्वारा बार-बार अपील प्रस्तुत किए जाने के बावजूद विभागीय जांच की संपूर्ण कार्यवाही ग्वालियर क्षेत्र के स्थान पर इंदौर प्रधान कार्यालय में संपादित की गई, जिससे उन्हें आर्थिक एवं अन्य प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि विभागीय कार्यवाही भेदभावपूर्ण थी तथा शास्ति के रूप में उन्हें निलंबन अवधि के आर्थिक लाभों से वंचित किया गया एवं वेतन वृद्धि रोकने का दंड भी दिया गया।

प्रकरण पर दिनांक 13.06.2025 को महाप्रबंधक, मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक, इंदौर को नोटिस जारी किया गया। इसके प्रत्युत्तर में बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में अवगत कराया गया कि अभ्यावेदक के विरुद्ध की गई शिकायत तथ्यात्मक आधार पर की गई थी तथा बैंक की निवारक सतर्कता गतिविधियों के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालय ग्वालियर के कार्मिक विभाग में पदस्थ अधिकारी श्री सुमित तिवारी द्वारा शाखा का आकस्मिक निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान डेयरी केसीसी ऋण खाते से संबंधित गंभीर अनियमितताएं पाई गईं, जिनमें ऋण दस्तावेजों का अपूर्ण होना तथा ऋण स्वीकृति एवं वितरण प्रक्रिया में त्रुटियां शामिल थीं।

अंतर सिंह आर्य/Antar Singh Arya
अध्यक्ष/Chairperson
भारत सरकार/ Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

बैंक द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि संबंधित ऋण शाखा के बी.सी. श्री रूद्रप्रताप सिंह की सहमति के बिना स्वीकृत एवं वितरित किया गया था तथा इस संबंध में उनका कथन भी दर्ज किया गया था। जांच के दौरान यह भी पाया गया कि उक्त ऋण खाते से ₹1,44,000/- की राशि का आहरण ऋणी की शाखा में उपस्थिति के बिना कार्यालय सहायक एवं शिकायतकर्ता द्वारा अनुमत किया गया था। इन तथ्यों के आधार पर विभागीय जांच संस्थित की गई तथा नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई।

प्रकरण के संबंध में माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा पूर्व में दो अवसरों पर सुनवाई निर्धारित की गई थी, किन्तु संबंधित विभाग के सक्षम प्राधिकारी की अनुपस्थिति के कारण सुनवाई संपन्न नहीं हो सकी थी। अतः विभागीय पक्ष को सुनने एवं प्रकरण के समुचित परीक्षण हेतु दिनांक 17.06.2026 को पुनः सिटिंग आहूत की गई।

सुनवाई तिथि को मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक के प्रतिनिधि तथा अभ्यावेदक उपस्थित हुए। अभ्यावेदक द्वारा अपने अभ्यावेदन में लगाए गए आरोपों को दोहराते हुए कहा गया कि उनके विरुद्ध की गई विभागीय कार्यवाही भेदभावपूर्ण एवं पक्षपातपूर्ण थी तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंधित होने के कारण उन्हें प्रताड़ित किया गया। उन्होंने आयोग से न्यायोचित हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया।

बैंक के प्रतिनिधि द्वारा आयोग को अवगत कराया गया कि अभ्यावेदक के विरुद्ध की गई कार्यवाही जांच में पाए गए तथ्यों एवं उपलब्ध अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर की गई थी तथा इसमें किसी प्रकार का जातिगत भेदभाव नहीं किया गया। बैंक द्वारा यह भी कहा गया कि संपूर्ण विभागीय कार्यवाही बैंक के सेवा नियमों एवं स्थापित प्रक्रिया के अनुरूप संपादित की गई है।

प्रकरण में दोनों पक्षों को सुनने तथा उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन करने के उपरांत माननीय आयोग ने पाया कि मामले में विभागीय जांच एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही बैंक द्वारा नियमानुसार संपादित किए जाने का दावा किया गया है।

प्रकरण में दोनों पक्षों को सुनने के बाद माननीय आयोग ने निम्न अनुशंसा की –

(*i*) उक्त विषय में प्रकरण जाति दुर्भावना से प्रेरित न हो कर बैंक के कार्य निष्पादन से संबंधित अनियमितता पाई गई है। अतः प्रकरण को आयोग में बंद किया जाता है।

(अंतर सिंह आर्य)

अध्यक्ष

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

अंतर सिंह आर्य/Antar Singh Arya
अध्यक्ष/Chairperson
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

अनुसंधान एकक-I

****

फाइल. सं.NCST/SER-2357/MP/752/2025-RO-BH/RU-I

दिनांक: 17.06.2026

विषय: आवेदक के विभाग द्वारा अनुचित तरीके से आवेदक के विरूद्ध झूठी शिकायत किए जाने के संबंध में- श्री नमो नारायण, म.प्र. ग्रामीण बैंक, शाखा-भितरवार, जिला-ग्वालियर(म.प्र.) से प्राप्त दिनांक 28.05.2025 का अभ्यावेदन के संबंध में आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में आयोग मुख्यालय के न्यायालय कक्ष में दिनांक 17.06.2026 को आयोजित सिटिंग/सुनवाई की उपस्थिति।

क्र. सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष नंबर	हस्ताक्षर
1	श्री अंतर सिंह आर्य	माननीय अध्यक्ष	अध्यक्षता	
2	श्री पूर्णेंदु कान्त	निदेशक		
3	श्री शिव प्रकाश	वरिष्ठ अन्वेषक		
4	श्री तिलोका नंद शुक्ला	अन्वेषक		

महाप्रबंधक,
मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक, 204, सी-21, बिज़नस पार्क,
रिंग रोड, रेडिसन चौराहा, इंदौर-462010, मध्य प्रदेश

क्र. सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष नंबर	हस्ताक्षर
1	अर्पित शर्मा	वरिष्ठ प्रबंधक	9993985449	[signature] 17/6/26
2	नमो नारायण मीणा	कार्या. सहायक	8005893'4140	[signature]
3				
4				

अभ्यावेदक/अभ्यावेदिका

क्र. सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष नंबर	हस्ताक्षर
1				
2				
3				
4				